न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02 / 343 / 2022

वउनवान

1. मीरा पत्नी रामेश्वर जाति मीना निवासी डयोठाना तहसील कठूमर जिला अलवर।

सायल

बनाम

1. बलजीत पुत्र लक्ष्मण जाति जााट निवासी डयोठाना
2. पप्पू पुत्र बलजीत जाति जाट निवासी डयोठाना
3. रमेश पुत्र बलजीत जाति जाट निवासी डयोठाना कठूमर तहसील कठूमर।

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—श्री भवानी शंकर शर्मा एडवोकेट— अधिवक्ता सायला

श्री रामजीलाल शर्मा

श्री मानसिंह चौधरी— अधिवक्तागण गैरसायलान

आदेश दिनांक 16.01.2024

सायला द्वारा प्रस्तुतप्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 189 रकवा 1.24 हे. वाके ग्राम ड्योठाना तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी के तरफ दक्षिण पर सायला काबिज रहकर काश्त कर रही है जिस आराजी से गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायलान जबर्दस्त व्यक्ति हैं जो ताकत के वल पर सायला के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी को हडपना चाहते है। गैरसायलान ने सायल को एलानियां धमकी दी है कि हम तुझे विवादित आराजी के तेरे हिस्सेव पर

उपखण्ड अधिकारी

शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें जवरन. वेदखल कर हम खुद कब्जा करेगें तथा उक्त आराजी की दक्षिणी डौल को तोड कर विवादित आराजी को दवाकर इस पर कच्चा पक्का निर्माण करेगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायला को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायलानने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया किउक्त आराजी पर सायला का कब्जा नहीं है चूँकि उक्त आराजी सायला के अलावा अन्य करीब 14–15 सहखातेदारान की खातेदारी में दर्ज है। सायला का उक्त आराजी पर मुताविक राजस्व रेकार्ड 10/123 हिस्सा पर भामलात में कब्जा काश्त है। उक्त आराजी सालिम पर सायला ने अपना कब्जा सावित नहीं किया है सही तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित आराजी के पास ही गैरसायलान की पैत्रिक पुरानी मौरूस कब्जे एंव स्वामित्व की आबादी की भूमि है जिस पर गैरसायलान वुजुर्गान के समय से काविज रहकर उपयोग एंव उपभोग कर रहे है। पहले पूर्वज काविज थे अव गैरससायलान काविज रहकर उपयोग एंव उपभोग कर रहे है। उक्त आराजी का रकवा 5 वीघा करीब है जवकि सायला के हिस्से में 10 एयर भूमि आती है अन्य साझीदारान की जमीन सायला ने खरीद ली हो इसे सायला ने सावित नहीं किया है। उक्त आराजी के अन्य सहखातेदारान काश्तकारान को सायला ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। सायला को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सायलाने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम डयोठानाकी सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायला ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी के तरफ दक्षिण में सायला का कब्जा है जिस सायला के हिस्सा की आराजी में गैरसायलान कब्जे काश्त में बाधा व व्यवधान पैदा करते है तथा जवरन कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण करना चाहते है उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है यदि गैरसायलान ने सायला के हिस्सा की आराजी पर जवरन कब्जा कर लिया या कच्चा पक्का निर्माण कर लिया तो सायला को काफी नुकशाान होगा। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का रकवा करीब 5 वीघा है सायला का रकवा 10 एयर है। सालिम आराजी पर सायला का कब्जा नहीं है इससे लगता गैरसायलान की वुजुर्गानी आबादी की भूमि है जिस पर गैरसायलान काविज रहकर उपयोग एंव उपभोग करते है। सायला विवादित आराजी की आड में गैरसायलान की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। सायला ने विवादित आराजी के अन्य सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। सायला को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। इस वजह से प्रार्थना पत्र सायला खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायला द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व जवाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये सायला को निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है--

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पुर्ति होने वाली क्षति

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल पेश की है। जमाबन्दी हाल में विवादित आराजी सायला एंव अन्य साझीदारान की खातेदारी में दर्ज है। सायला ने विवादित आराजी में अपना हिस्सा तरफ दक्षिण को होना कथन किया है। सायला कों तरफ दक्षिण को कितनी जमीन हिस्से में मिली व सायला का दक्षिण को कब्जा किस प्रकार मिला अन्य सहखातेदारान का हिस्सा कहां कैसे है इस तरह का वंटवारानामा सायला ने पत्रावली पर पेश नहीं किया है सायला ने अन्य सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया इसे भी स्पष्ट नहीं किया है प्रार्थना पत्र में सायला ने अपना हिस्सा भी स्पष्ट नहीं किया है। सायला को गैरसायलान से किसी तरह का नुकशान व क्षति हो रही हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो उन्हें क्षति व नुकशान होना संभव है। सायला ने अपना प्रार्थना क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायला के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 13.12.2022 निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सुनील कुमार झिंगोनियां

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 16.01.2023 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार झिंगोनियां

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

अधिकारी कठूमर जिला अ...

... उपखण्ड

तारीख रजू 13/12/22

.../343/2022

बनाम

मीरा बलजीत वगैरा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
...2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 189,वाके ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर में गैरसायल संख्या 1से 3 सायल के खसरे नम्बर पर किसी प्रकार का कब्जा कर निर्माण ना करें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिऐ कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 27.12.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.12.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
...12.22	वकलाय उभय अप्रार्थीगण की ओर से श्री रामजीलाल शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया गया। ~~[illegible]~~ जवाब को समय चाहा गया पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24.1.23 को पेश उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
16/1/24	बुलाया उपरान्त प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र पर रिश्ता को साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र पर रिश्ता साबित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली मियाद शुदा बाद होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला रिकार्ड रूम भिजवाई जावे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	